कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ0ग0)

क्रमांक क/वाचक–1/2017 /1367
प्रति घरघोड़ा दिनांक 25 फरवरी, 2017

कलेक्टर
(भू–अर्जन शाखा)
रायगढ़

विषय– भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण का विशेषज्ञ समूह द्वारा अंकन के संबंध में प्रतिवेदन देने बावत्।

विषयान्तर्गत अवर सचिव, छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, रायपुर का पत्र क्रमांक 5106/आर0एन0 2896/सात–1/2016 दिनांक 09.09.2016 में दिये गये निर्देशानुसार एन.टी.पी.सी.तिलाईपाली परियोजना अंतर्गत महाप्रबंधक द्वारा निम्नांकित ग्रामों के निजी भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव में सामाजिक समाघात निर्धारण करने हेतु कलेक्टर महोदया रायगढ द्वारा विशेष गठित दल द्वारा इस कार्यालय में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है:–

1. कंचनपुर
2. बनाई
3. बासनपाली
4. नूनदरहा
5. डोलेसरा
6. ज्रेकेला
7. मौहापाली
8. केराखोल
9. पतरापाली
10. बरकसपाली

2– उक्त विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन **"आवेदक कंपनी एन0टी0पी0सी0 लिमिटेड द्वारा पूर्व में ऐसी कोई अर्जित भूमि पहीं है, जो अनुपयोगी पड़ी है"** के संबंध में तहसीलदार तमनार एवं घरघोड़ा से पृथक से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त किया गया। तदनुसार विशेषज्ञ दल द्वारा उपर्युक्त ग्रामों का प्रस्तुत अंकन/प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु मूलतः संलग्न कर सादर संप्रेषित है।

सहपत्र– 10 ग्राम का
प्रतिवेदन

25.2.17

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
घरघोड़ा जिला रायगढ़
25/2/17

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ0ग0)

—:: ईश्तहार::—

ग्राम कंचनपुर, बनाई, बासनपाली, नूनदरहा, डोलेसरा, जरेकेला, मौहापाली, केराखोल, पतरापाली एवं बरकसपाली तहसील घरघोडा की निजी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात सहमति तथा जनसुनवाई) नियम 2016 के तहत मूल्यांकन हेतु एन.टी.पी.सी. तिलाईपाली से प्राप्त प्रस्ताव को गठित विशेषज्ञ दल द्वारा जांच कर अभिमत अंकित कर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। (ईश्तहार के साथ पृथक से संलग्न है)।

इस प्रकार सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना में इस कार्यालय द्वारा दिया गया अभिमत दिनांक 25.02.2017 का प्रकाशन उक्त ग्रामों (पृथक–पृथक) में ईश्तहार के माध्यम से प्रकाशित किया जाकर सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संलग्न प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का आपत्ति हो तो वें अपना आपत्ति दिनांक 08 **मई, 2017** तक इस कार्यालय में स्वयं अथवा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक **17.04.2017** को इस न्यायालय के सील एवं मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

17.4.17

अनुविभागीय अधिकारी (रा)
घरघोड़ा जिला रायगढ़

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अतंगर्त सामाजिक समाघात निर्धारण का विशेषज्ञ समुह द्वारा अंकन

प्रति,

कलेक्टर रायगढ, छ.ग.

विषयः— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 7 के अतंगर्त सामाजिक सामाजिक सामाघात निर्धारण का विशेषज्ञ समुह द्वारा अंकन

संदर्भः— आपका आदेश कमांक 110805/भू—अर्जन/2016 रायगढ़ दिनांक 16.12.2016

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश का अवलोकन करने कष्ट करें। इस आदेश के तारतम्य में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा द्वारा जारी पत्र कमांक क/वाचक—1/2017/घरघोड़ा दिनांक 13 जनवरी 2017 के अनुपालन में दिनांक 28.01.2017 को समिति की बैठक संपन्न हुई सभी नामांकित सदस्य उपस्थित रहे बैठक में ग्रामवार प्रस्तााावित भूमि अधिग्रहण पर सामाजिक समाघात अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का आकलंन किया गया जिसका प्रतिवेदन निम्नानुसार है।

ग्राम बरकसपाली, तहसील– तमनार, जिला रायगढ़

- प्रस्तावित अधिग्रहण के लिए एनटीपीसी लिमिटेड जो कि भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम के लिए है। जिसका मुख्य लक्ष्य विद्युत उत्पादन है इस उपक्रम की एक इकाई ग्राम लारा में संयन्त्र स्थापित किया जा चुका है। इस संयन्त्र को आवश्यक कोयले के खदाने तिलाईपाली कोल बलॉक रायगढ़ में दिनांक 25.01.2006 को आबंटित की जा चुकी है। इस खदान से उत्पादित होने वाले कोयले का सुगम एवं त्वरित परिवहन हेतु एक डबल रेल लाईन बिछाया जाना प्रस्तावित है। जाहिर है यह प्रस्तावित अधिग्रहण रैखीक (LINEAR) होगा अर्थात भूमि में निश्चित चौड़ाई और एक लम्बी दुरी तक भूमि अधिग्रहित की जायेगी। जिससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की संख्या तो अधिक होती है। परन्तु अर्जित किया जाने वाले रकबा कम होता है। अतः अधिकतर प्रकरणों में कोई व्यक्ति अपनी पूरी जमीन नहीं खोता है।

- प्रस्तावित अधिग्रहण में आने वाला क्षेत्र अनुसूचित जन जाति बाहुल्य क्षेत्र है एवं अधिसूचित क्षेत्र है। अतः भूमि अधिग्रहण के लिए इस क्षेत्र में P.E.S.A. का पालन आवश्यक होता है। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम सभा का आयोजन कर अधिग्रहण का अनुमोदन किया गया है जो कि संलग्न है (अनु. क. ....)।

- सामाजिक अध्ययन दल द्वारा कुल खसरा नं. 43 कुल रकबा 11.24 एकड़ जमीन का प्रस्तावित अधिग्रहण प्रतिवेदित किया है। इसकी पुष्टी संबंधित राजस्व अभिलेखों से कि गई। इस अधिग्रहण से कुल 33 व्यक्ति प्रभावित होगें जिसमें 6 अनुसूचित जन जाति, 5 अनुसूचित जाति 22 अन्य संर्वग है। तथा 9 सीमांत, 10 लघु, 14 समान्य कृषक है। जिसका विवरण संलग्न

है (अनु. क. ....)। उपरोक्त विवरण से सपष्ट है की किसी भी व्यक्ति का पुरी जमीन नहीं जा रही है।

- इस ग्राम में इस रेल लाईन को विछाने के लिये भूमि अधिग्रहण पूर्व में इसलिये नहीं किया जा सका क्योंकि यहां पर रेल लाईन का ALLIGNMENT बदलना पड़ा क्योंकि पूर्व में प्रस्तावित रेल लाईन ऐसे क्षेत्र से जा रही थी जो कि किसी अन्य उद्योग को पूर्व में ही अधिग्रहित कर दिया जा चुका है।

- रेल लाईन के लिये आवश्यक अधिग्रहण निशचित ही कम से कम दूरी को ध्यान में रखते हुए ही किया जाता है। इस परियोजना के निमार्ण में इस बात का ध्यान रखा गया है। कि कोई भी बसाहट, अबादी, भवन, सार्वजनिक उपयोग की भूमि यथा स्कुल, अस्पताल, बाजार इत्यादि पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पढ़ रहा है। और न ही वह भूमि अधिग्रहण में शामिल है जहां तक वैकलपिक भूमि का प्रश्न है। विकल्प उपलब्ध नहीं है आस पास भी कोई अन्य भूमि या शासकीय भूमि उपल्बध नहीं है।

- न्युनतम भूमि ही अधिग्रहित की जा रही है इसका परीक्षण तकनिकी विशेषज्ञ ने प्रस्तुत किया है जिनकी रिपोर्ट पृथक से संलग्न है (अनु. क. ....) । उन्होने भी यह पाया है की भूमि जो अधिग्रहित की जा रही है। वह न्यूनतम है, और भारतीय रेल द्वारा निर्धारित मापदण्डो के अनुरुप है।

- समिति कें संयोजक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा सूचित किया गया की आवेदक कम्पनी एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा पूर्व में ऐसी कोई अर्जित भूमि नहीं है, जो अनुपयोगी पड़ी है।

- प्रारम्भिक सामाजिक अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रभावित होने वाले ग्रामों में जन सुनवाई का आयोजन किया गया और अधिग्रहण के विरुध्द कोई आक्षेप नहीं आया। केवल ग्राम में कतिपय सार्वजनिक सुविधाएं देने का आग्रह किया गया जिसे कम्पनी ने स्वीकार कर लिया।

- प्रस्तावित अधिग्रहण के संबंध में प्रभावितों से निर्धारित प्रपत्र में सहमति ली गई जो संलग्न है (अनु. क. ....) ।

- उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में दिये गये प्रावधानों के अनुरुप निर्धारित प्रकिया का पालन किया गया है।

- प्रस्तावित अधिग्रहण ग्राम लारा में स्थापित हो चुके एनटीपीसी जो कि भारत सरकार का एक उपकम है। के लिये खदानों से उत्पादित कोयले के सुगम एवं त्वरित परिवहन हेतु किया जा रहा है। इससे कोयले के आवाजाही से सड़क मार्ग से परिवहन में होने वाले दुष्परिणामों से बचा जा सकेगा। कोयले के निरन्तर उपलब्धता से विद्युत संयन्त्र का उत्पादन लगातार बना रहेगा और संयन्त्र के लिये यह रेल लाईन एक जीवन रेखा प्रमाणित होगी। विद्युत उत्पादन वह भी शासकीय उपकम द्वारा निश्चिय ही लोक प्रयोजन के लिये ही किया जाता है। इस संयन्त्र से उत्पादित होने वाली विद्युत उत्पादन से संभाव्य फायदे सामाजिक खर्चे और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि न्यूनतम है और अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। विस्थापितों की संख्या शून्य है। प्रभावितों की संख्यां केवल 33 है जिनमें उनके कुल खाते का बहुत छोटा हिस्सा अधिग्रहित होना प्रस्तावित है। फलतः ग्राम बरकसपाली की खसरा नं 279,

277/2, 277/3, 278/1, 278/4, 278/3, 263/4च, 263/10, 263/4छ, 265/9, 263/4झ, 265/10, 250/4क, 255/1, 255/2, 275/10, 275/6, 256/1, 256/2, 261/1, 263/12, 263/16, 263/11, 262/1, 250/6, 250/2, 250/3, 245/1, 246/3, 250/9, 245/2, 246/9 246/7, 265/16, 265/17, 250/4च, 265/15, 264/1, 264/2, 263/13, 250/5, 247, 250/8 रकबा कमशः 0.02, 0.45, 0.62, 0.07, 0.12, 0.15, 0.11, 0.05, 0.12, 0.02, 0.03, 0.08, 0.07, 0.12, 0.02, 0.08, 0.04, 0.50, 0.25, 0.28, 0.10, 0.10, 0.10, 0.42, 0.70, 0.75, 0.22, 0.75, 0.22, 0.75, 0.96, 0.83, 0.20, 0.80, 0.20, 0.80, 0.40, 0.04, 0.02, 0.05, 0.08, 0.25, 0.18, 0.05, 0.09, 0.13, 0.82 एकड़ की भूमि अधिग्रहण की अनुशंसा की जाती है।

एस. जयवर्धन
अनुविभागीय अधिकारी

सूधीर डान्डेकर
पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ

1. श्री.एस.पी.दीक्षित, पुनर्व्यवस्थापन विशेषज्ञ
2. श्री. हरिलाल, तकनिकी विशषज्ञ
3. श्रीमती आशा शिव शर्मा, जनप्रतिनिधि
4. श्री. राधेश्याम राठिया, जनप्रतिनिधि
5. श्री. गंगाधर वैष्णव, गैर सामाजिक वैज्ञानिक
6. योगेश शर्मा, गैर सामाजिक वैज्ञानिक

विषय:- एनटीपीसी लिमि. रेलवे कारीडोर परियोजना की सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु जनसुनवाई ।

ग्राम - बरकसपाली, तह.- तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
दिनांक - 30/03/2016

आज दिनांक 30-3-2016 को ग्राम बरकसपाली में NTPC द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु माननीय अनुविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता में जनसुनवाई किया गया जिसमें सामाजिक समाघात के सभी सदस्य उपस्थित रहे। जनसुनवाई में नियमानुसार कार्यवाही की गई

1. रेलवे कारीडोर परियोजना में ग्राम बरकसपाली के कुल 33 कृषक का भूमि अर्जन किया जा रहा है जिसमें कुल खा.नं. 43 कुल रकबा 4.543 हे. अर्थात 11.26 एकड़ जमीन प्रभावित हो रहा है

2. माननीय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मुआवजा राशि पुनर्वास के सम्बन्ध में चर्चा किया गया। महोदय द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण के सम्बन्ध में चर्चा किया गया एवं उपस्थित सदस्यों से सुझाव आमंत्रित किया गया।

(ड) धनीराम चौधरी द्वारा विवाहित महिला को मुआवजा का फायदा होगा या नहीं पूछा गया जिस पर अनु. अधिकारी महोदय द्वारा बताया गया कि खातेदार को मुआवजा का लाभ होगा खातेदार के मरने पर उनके उत्तराधिकारियों को उसका लाभ होगा। अर्जित भूमि पर बेटी का नाम है तो उसका फायदा मिलेगा यदि बेटी का नाम खाता में नहीं है तो उसका फायदा बेटी को नहीं होगा किन्तु [illegible] [illegible] के निर्णय से मुआवजा का फायदा बेटी को मिलेगा।

(च) धारा 13 में दुबारा सुधार के सम्बन्ध में धनीराम चौधरी द्वारा पूछा गया जिस पर अनु. अधि. महोदय द्वारा बाद आपत्ति में सुधार होने की बात कही गई

(छ) मुआवजा सही शासन द्वारा निर्धारित अनुसार प्रदान की जायेगी उस पर किसी प्रकार संशोधन नहीं किया जायेगा तथा किसानों का किसी प्रकार नुकसान नहीं होने दिया जायेगा।

(6) अनु० अभि० महोदय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में उपलब्ध सदस्यों को समझाइश दी गई एवं जल्दी शौचालय निर्माण पूर्ण करने की अपील की गई।

क्र.	नाम	गांव बरकसपाली	हस्ताक्षर
1	मुरली सरपंच	बरकसपाली	[signature]
2	बंशीधर साहू	बरकसपाली	बंशीधर
3	सुदर्शन साहू	बरकसपाली	सुदर्शन साहू
4	अरविंद साहू	बरकसपाली	अरविंद
5	रामलाल निषाद	बरकसपाली	रामलाल
6	बुद्धू राम	बरकसपाली	[thumb impression]
7	बबलू पटेल	बरकसपाली	[signature]
8	ललीत पटेल	बरकसपाली	ललीत
9	उसत यादव		उसत कुमार
10	शिव कुमार		शिवकुमार
11	ससुलन बाई		[thumb impression]
12	अनवरी बेगम		अनवरी बेगम
13	ओम प्रकाश पंच		[signature]
14	सिता राम		सीताराम
15	नन्दलाल		नन्दलाल

16	सुरेन्द कुमार		[signature]
17	राज कुमार परेल		[signature]
18	रिकेश्वर		[signature]
19	रघुनन्दन		रघुनंदन
20	गाड़ा राय		गाड़ा राय
21	गौतम		गौतम
22	राम यादव		दीपक यादव
23	अमरीक बाई		[thumb impression]
24	धुराऊ राम		[signature]
25	ननीराम		[thumb impression]
26	पुनीराम		[thumb impression]
27	सुनाऊ राम		सुनाऊ राम
28	पाल्हु राम		[signature]
29	प्यारीलाल चौहान		[signature]
30	श्याम लाल		श्याम

31	अभय राम यादव		अभयरामयादव
32	शिवलाल निषाद		शिवलाल
33	कार्तिक निषाद		कार्तिक
34	आलिक निषाद		आलिक
35	गणेश सिदार		
36	राम प्रसाद सिदार		
37	सिता बाई		सिताबाई
38	रमजान		रमजानखान
39	उस्मान		उस्मान
40	ईमरान खान		ईमरान
41	मोहर साय		महरसाय
42	मंगल सिंग		मंगलसिंग
43	देवकुवर		
44	अश्वनी कुमार		[illegible]
45	महरसाय यादव		[illegible]

46	सुख्खुराम यादव	बारकलपाली	सुखर
47	कुशालकुमार यादव		कुशाल
48	सागरधीराम		राधिका
49	बुधराम चौहान	—〃—	जयराम
50	विजय कुमार यादव		नागेश्वर
51	बेदमति		बेदमति
52	मयावतिबाई		
53	मोहन लाल		हरिकुंवर
54	कार्तिकराम	—〃—	
55	बहारतीन बाई		
56	लाला राम		[illegible]
56	दुर्गा प्रसाद	—〃—	[illegible]
58	शंकर प्रसाद		
59	राम प्रसाद चौहान	—〃—	[illegible]
60	सगुन सार्य		

61	तुलाराम साहू	बारकसपाली	
62	संतोष साहू		निर्मला साहू
63	डमरू साहू		डमरूलाल
64	सुरजु साहू	—॥—	सुरज साहू
65	बिक्कु साहू		मंजुलता
66	चन्द्रभानु साहू		चन्द्रभानु
67	अहिल्याबाई	—॥—	अहिल्या
68	हिराधन साहू		हिराधन
69	गीता बाई		[illegible]
70	चन्दन सिदार		चन्दनसिदार
71	मनजीत राम	—॥—	
72	संजु साहू		संजू साहू
73	अमरसिंग		अमरसिंह
74	चन्द्रशेखर साहू	—॥—	
75	गंगाराम साहू		गंगाराम

76	भगवति बाई	बरकसपाली	
77	रवीचन्द्र कुम्हार		रविचन्द्र
78	श्याम लाल निषाद	—"—	श्याम ला
79	संतोषी बाई		संतोषी
80	मुकुन्द राम	—"—	मकुन्द
81	सनातन राठिया		सनातन
82	लोकेश्वर यादव		[illegible]
83	नरायण राठिया	—"—	नारायण
84	लक्ष्मी राठिया		रोहित
85	पिनलाल चौधरी	—"—	[illegible]
86	अश्वनी कुमार		पति वृन्दावन
87	जोसना यादव आंगनबाड़ी	—"—	पति Jyadav
88	प्रकाश पटेल		चन्द्रकिरण
89	चन्डीका प्रसाद चौधरी		Sunil Chaud
90	जेदरस चौधरी		जयप्रकाश

91	गोबीन्दराठिया सरपंच)	खरकसपाली	[illegible]
92	अर्जुन राठिया		अर्जुन
93	लोकनाथ चौधरी	—"—	राजेश
94	निर्मल प्रसाद चौधरी		निर्मल प्रसाद
95	कमलेश चौधरी		कमलेश
96	बाहदुर चौधरी		बहादुर चौधरी
97	बाई के चौधरी	—"—	[illegible]
98	केदराम चौधरी		दीपक
99	पुरंजन चौधरी	—"—	पुरन्जन चौधरी
100	साहेबराम		
101	कार्तिकेश्वर	—"—	
102	राजकुमारी		
103	गोवर्धन	—"—	केदार
104	प्यारी बाई		
105	मानसिंग तिदार	—"—	मानसिंग

106	पदमनि बाई	बारकसपाली	पदमिनी
107	हेमो बाई		
108	भागवती बाई		
109	प्रेमसाययादव	—//—	
110	अरतकुमार बिदार		अरतकुमार
111	सुदर्शन साहू		सुदर्शनसाहू
112	चमारसिंगराठिया		
113	उमाशंकरराठिया	—//—	
114	दिपक सारथी		दीपकसारथी
115	गुरुचरण यादव		गुरुचरण
116	नदीपरवान	—//—	नमदीखान
117	कलारामराठियां		कालाराम
118	अजीम खान	—//—	सलिम
119	सलीम खान		अजिम
120	असलम खान		असलम

121	टिकेश्वर यादव	बरकसपाली	टिकेश्वर
122	लक्ष्मी प्रसाद सारथी		लक्ष्मी
123	सुन्दर साय धोबा	—"—	सुन्दरसाय
124	प्रकाश सारथी		प्रकश
125	बुध्दू सिंग		बुधुराम
126	अनिल कुमार	—"—	अनिल कुमार
127	डोमुज साहू		[illegible]
128	प्रेमीराम	—"—	प्रेमिराम
129	राम प्रसाद		रामप्रसाद
130	देवचरण	—"—	[illegible]
131	करम सिंग		करमसिंग
132	संतोष सिदार	—"—	संतोष सिदा
133	अनारकली बाई		अनार बी
134	सेत कुमार	—"—	[illegible]
135	हिरालाल राठिया		हीरलाल

136	आयुष कुमार	बरकस पाली	आयुष कु
137	कंठी राम		कन्ठीरा
138	जगदीश राठिया		जगदीश
139	पतिराम यादव		पतिराम
140	ईसराम खान	—॥—	ईसराम
141	रामकुमार यादव		रामकुमार
142	दुरुकु राम सारथी		दुरुकु राम
143	खुमान खान	—॥—	खुमान
144	रामप्रसाद कोटवार		रामप्रसाद
145	रतिराम	—॥—	रतीराम
146	कला राम		केलाराम
147	अबलु सिदार	—॥—	[signature]
148	जैयराज चौहान		[signature]
149	रोशन चौहान	—॥—	[signature]
150	जगेश्वर यादव		जगेश्वर

151	प्रीती साहू	बरकसपाली	प्रिती
152	मल्थु राम साहू	— // —	मल्थु साहू
153	भागीरथी		भागीरथी
154	हृदय राम	— // —	हृदयराम
155	रामदास नाग		[illegible]
156	राधिया कुमार	— // —	[illegible]
157	ललीत कुमार		ललीत
158	बेदराम पटेल	— // —	बेदराम चौहान
159	छुराकु राम	— // —	छराकराम
160	सितराम ध्यायाल	—	सितारम
161			
162			
163			
164			
165			

प्रभावित खातेदार का विवरण

ग्राम बरकसपाली प0ह0नं0 राजस्व निरीक्षक मण्डल तमनार तहसील तमनार जिला रायगढ़ (छ.ग.)

कमांक	खातेदार का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हेक्टेयर	रकबा अर्जित (हेक्टेयर)	रकबा अर्जित (ए0)	उस खाते का कुल क्षेत्रफल जिसमें अर्जित भू–खण्ड स्थित हो (हेक्टेयर)	किस्म जमीन मौके के अनुसार	उगाई गई पिछली फसल	कृषक का प्रकार	जाति
1	डमरूधर व. समारूराम जाति कंवर	279	0.753	0.008	0.02	0.753	असिंचित	धान	S	ST
2	बब्बल पाण्डे पिता सत्यनारायण जाति ब्राम्हण	277 / 2	1.183	0.182	0.45	3.767	असिंचित	धान	AM	GN
		277 / 3	1.359	0.250	0.62		असिंचित	धान		
3	निर्मल तुलाराम कृपाराम बहादुर व. डोकरीलाल उर्मिला बे. डोकरीलाल जाति अघरिया	278 / 1	0.249	0.028	0.07	2.308	असिंचित	उड़द	AM	OBC
		278 / 4	0.062	0.048	0.12		असिंचित	उड़द		
4	चन्द्रभान व. प्रेमलाल आसमती व. प्रेमलाल जाति अघरिया	278 / 3	0.062	0.062	0.15	5.685	असिंचित	उड़द	O	OBC
5	अश्वनी कुमार पिता घनश्याम जाति अघरिया	263 / 4 च	0.092	0.044	0.11	2.810	असिंचित	धान	AM	OBC
		263 / 10	0.115	0.020	0.05		असिंचित	धान		
6	शुक्लाम्बर व. धनेश्वर जाति अघरिया	263 / 4 छ	0.047	0.047	0.12	1.702	असिंचित	धान	L	OBC
		265 / 9	0.109	0.008	0.02		असिंचित	धान		
7	पुष्कर पिता घनश्याम जाति अघरिया	263 / 4 झ	0.172	0.012	0.03	1.266	असिंचित	धान	L	OBC
		265 / 10	0.043	0.032	0.08		असिंचित	उड़द		
		250 / 4 क	0.115	0.028	0.07		असिंचित	उड़द		
8	कुम्हारसिंह व. बटाऊ जाति रावत	255 / 1	0.049	0.049	0.12	0.049	असिंचित	धान	s	OBC
9	अशोक कुमार सरजू प्रसाद पिता माखनलाल जाति तेली	255 / 2	0.085	0.008	0.02	0.085	असिंचित	धान	s	OBC
10	रामकुमार व. रामभजन जाति रावत	275 / 10	0.809	0.032	0.08	0.809	असिंचित	उड़द	S	OBC
11	रोहित कुमार पिता निर्मल जाति अघरिया	275 / 6	1.214	0.016	0.04	1.214	असिंचित	धान	L	OBC
12	सनमती बेवा हेतराम जाति कंवर	256 / 1	1.254	0.202	0.50	1.254	असिंचित	धान	L	ST
13	परदेशी वो विषिकेशन पिता मंगलसिंह जाति गाड़ा	256 / 2	0.405	0.101	0.25	0.405	असिंचित	धान	S	SC
14	रामलाल श्यामलाल पिता मुकुतराम जाति केंवट	261 / 1	0.114	0.114	0.28	0.571	असिंचित	धान	S	OBC
15	टिकमसिंह व. जगमणी जाति अघरिया	263 / 12	0.115	0.040	0.10	6.948	असिंचित	धान	O	OBC
		263 / 16	0.115	0.040	0.10		असिंचित	धान		
16	राजकुमार व. पिताम्बर जाति अघरिया	263 / 11	0.115	0.040	0.10	1.784	असिंचित	धान	L	OBC
17	युगलकिशोर व. डोलनारायण जाति अघरिया	262 / 1	0.280	0.170	0.42	0.280	असिंचित	धान	S	OBC
18	पंनकू व. भागीरथी जाति कुम्हार	250 / 6	1.060	0.283	0.70	1.214	असिंचित	धान	L	OBC
19	धनसाय व. गंजहा जाति घसिया	250 / 2	1.416	0.304	0.75	1.416	असिंचित	उड़द	L	SC
20	अजय कुमार व. बालमकुन्द जाति कंवर	250 / 3	0.809	0.089	0.22	2.832	असिंचित	उड़द	AM	ST
		245 / 1	0.809	0.304	0.75		असिंचित	धान		
		246 / 3	1.214	0.389	0.96		असिंचित	धान		
21	सुखरू व. खसर्री जाति कंवर	250 / 9	1.364	0.336	0.83	1.619	असिंचित	उड़द	L	ST
22	सनातन व. बैखर जाति कंवर	245 / 2	0.405	0.081	0.20	4.848	असिंचित	धान	M	ST
23	सुग्रीव व. बटाऊ जाति गाड़ा	246 / 9	1.619	0.324	0.80	1.619	असिंचित	धान	L	SC
24	चैतुराम व. अन्तराम जाति गाड़ा	246 / 7	0.526	0.162	0.40	1.777	असिंचित	उड़द	L	SC

25	पिनलाल व. घनश्याम जाति अघरिया	265/16	0.083	0.016	0.04	0.083	असिंचित	धान	S	OBC
26	केंवराबाई बे. डोलनारायण सुशिला सुमित्रा प्रेमशीला बेदराम वो युगलकिशोर पिता डोलनारायण जाति अघरिया	265/17	0.064	0.008	0.02	0.084	असिंचित	धान	S	OBC
		250/4 च	0.020	0.020	0.05		असिंचित	उड़द		
27	देवकुंवर बे. धनेश्वर ओमप्रकाश टेक्लाम्बर पदमावती व. धनेश्वर जाति अघरिया	265/15	0.073	0.032	0.08	2.871	असिंचित	उड़द	AM	OBC
28	रामकुमार सतकुमार पिता मनभजन विजय कुमार व. मनभजन साधमति पुत्री मनभजन गणेशमति बेवा मनभजन जाति रावत जाति	264/1	0.101	0.101	0.25	2.100	असिंचित	धान	AM	OBC
29	ननकू व. खारी मनभजन व. नारायण जाति रावत	264/2	0.433	0.072	0.18	2.410	असिंचित	धान	AM	OBC
30	बंसीधंर व. कनीराम जाति अघरिया	263/13	0.115	0.020	0.05	3.771	असिंचित	धान	AM	OBC
31	रामप्रसाद व नत्थूराम जाति गांड़ा कोटवार सेवा भूमि	250/5	0.737	0.036	0.09	4.141	असिंचित	धान	M	SC
32	आनंदसिंह बहारतीन व. सहसराम जाति कंवर	247	1.465	0.053	0.13	2.532	असिंचित	धान	AM	ST
33	मत्थूराम मुनूराम पिता जनकराम मु. कसडोलिहीन बे. जनकराम मोंगरा मथुरा पिता जनकराम जाति तेली	250/8	2.023	0.332	0.82	2.023	असिंचित	धान	AM	OBC
योग	**33**	**43**	**23.252**	**4.543**	**11.24**	**67.03**				

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा जिला रायगढ़

सन्दर्भ :- कार्यालय कलेक्टर रायगढ़ छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 11805/भू अर्जन/2016 रायगढ़ दिनांक 16/12/16

विषय :- भू अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा के अन्तर्गत एवम समाजिक समाघात प्रबंधन योजना के तहत ग्राम बरकसपाली तहसील तमनार जिला रायगढ़ छ.ग. के मूल्यांकन हेतु रिपोर्ट।

उपरोक्त विषयांगत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोड़ा कि अध्यक्षता मे विशेष दल के समूह के साथ घरघोड़ा मे एक बैठक सम्पन्न हुयी जिसमे विषयानुसार हर बिन्दुओ पर चर्चा हुयी। ग्राम बरकस पाली ~~जिला~~ तहसील तमनार जिला रायगढ़ कि निजी भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव है, यह भूमि तिलाई पाली कोल माइन्स से एन. टी. पी. सी द्वारा कोल परिवाहन, रेल कैरीडोर के लिए प्रस्तावित है, बरकस पाली कि कुल भूमि का रकबा 11.23 एकड़ और ट्रैक की लम्बाई 1.616 किमी है। सम्बंधित दस्तावेजो का अध्यन करने के पश्चात यह पाया गया कि भूमि का अर्जित डोहरी लाइन को ध्यान पर रख कर किया गया है, जिसमे फारमेशन कि चौड़ाई फारमेशन re कटिंग, भराई, ढलान तथा पानी निकासी के लिए नाली कि व्यवस्था तथा दिन प्रतिदिन मरम्मत मे लगने वाले सामान को लाने ले जाने के लिए भी भूमि का प्रावधान रखा गया है।

अतः यह सत्यापित किया जाता है कि ग्राम बरकस पाली, तहसील तमनार जिला रायगढ़ कि निजी भूमि रेलवे ट्रैक बनाने के अनुरूप है प्रस्तावित है, अनावश्यक भूमि अधिग्रहण नही कि जा रही है।

(हस्ताक्षर)

हरीलाल सेवानिवृत कार्यपालन
अभियंता द.पू.म. रे.
बिलासपुर

आज दिनांक 28/01/2017 को तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना में आने वाले दस गांवों का सामाजिक समाघात निर्धारण एवं प्रबंधन हेतु प्रस्तावित रिपोर्ट के चर्चा एवं अनुमोदन हेतु एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई, इस बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थे।

नाम	हस्ताक्षर
1 — गंगाधर पैंकरा —	[signature]
2. — योगेश शर्मा —	[signature] 28/1/17
(3) Harilal —	[signature] Sharma 28/1/17
(4) श्री Dixit	[signature] 28/1/17 → 8109188088 [signature] → 9425235366
(5) Sudhir V. Dandekar	[signature] 28/1/2017 → 9826370111
(6) S. JAYAVardhan	[signature] 28.1.17
(7) Abha Saxena	[signature]
(8) राधेश्याम राठिया	[signature]
(9) C. M. Naik (GM.TL)	Naik 28-01-17
(10) N.M Swain, Sr. Mgr, Temp	[signature] 28.01.17